



ISSN: 2230-7850
 IMPACT FACTOR : 5.1651 (UIF)
 VOLUME - 11 | ISSUE - 4 | MAY - 2021

“राष्ट्रीय कृषि विकास में ग्रामीण बैंकों की भूमिका”

डॉ.राजू रैदास
 शोधार्थी – डी-लिट (वाणिज्य), अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय,
 रीवा (मध्यप्रदे) भारत.

परिचय – Introduction :-

शिवरामन समिति (शिवरामन कमिटी) की सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1981 को लागू करने के लिए संसद के एक अधिनियम के द्वारा 12 जुलाई 1982, को नाबार्ड की स्थापना की गयी। इसने कृषि ऋण विभाग (एसीडी (ACD) एवं भारतीय रिजर्व बैंक के ग्रामीण योजना और ऋण प्रकोष्ठ (रुखर प्लानिंग एंड क्रेडिट सेल) (आरपीसीसी (RPCC) तथा कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम (एआरडीसी (ARDC) को प्रतिस्थापित कर अपनी जगह बनाई। यह ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण उपलब्ध कराने के लिए प्रमुख एजेंसियों में से एक है।

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक एक ऐसा बैंक है जो ग्रामीणों को उनके विकास एवं आर्थिक रूप से उनकी जीवन स्तर सुधारने के लिए उनको ऋण उपलब्ध कराती है।

कृषि, लघु उद्योग, कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग, हरस्तशिल्प और अन्य ग्रामीण शिल्पों के उन्नयन और विकास के लिए ऋण-प्रवाह सुविधाजनक बनाने के अधिदेश के साथ नाबार्ड 12 जुलाई 1982 को एक शीर्ष विकासात्मक बैंक के रूप में स्थापित किया गया था। उसे ग्रामीण क्षेत्रों में अन्य संबंधित क्रियाकलापों को सहायता प्रदान करने, एकीकृत और सतत ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने और ग्रामीण क्षेत्रों में समृद्धि सुनिश्चित करने का भी अधिदेश प्राप्त है।



भूमिका :-

ग्रामीण समृद्धि के फैसिलिटेटर के रूप में अपनी भूमिका का निर्वाह करने के लिए नाबार्ड को नियन्त्रित जिम्मेदारियाँ सौंपी गई हैं :-

1. ग्रामीण क्षेत्रों में ऋणदाता संस्थाओं को पुनर्वित्त उपलब्ध कराना
2. संस्थागत विकास करना या उसे बढ़ावा देना
3. क्लाइंट बैंकों का मूल्यांकन, निगरानी और निरीक्षण करना।
4. ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए जो संस्थान निवेश और उत्पादन ऋण उपलब्ध कराते हैं उनके वित्तपोषण की एक शीर्ष एजेंसी के रूप में यह कार्य करता है।
5. ऋण वितरण प्रणाली की अवशोषण क्षमता के लिए संस्थान के निर्माण की दिशा में उपाय करता है, जिसमें निगरानी, पुनर्वास योजनाओं के क्रियान्वयन, ऋण संस्थाओं के पुनर्गठन, कर्मियों के प्रशिक्षण में सुधार, इत्यादि शामिल हैं।
6. सभी संस्थाएं जो मूलतः जमीनी स्तर पर विकास में लगे काम से जुड़ी हैं, उनकी ग्रामीण वित्तपोषण की गतिविधियों के साथ समन्वय रखता है, तथा भारत सरकार, राज्य सरकारों, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई (RBI) एवं नीति निर्धारण के मामलों से जुड़ी अन्य राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं के साथ तालमेल बनाए रखता है।
7. यह अपनी पुनर्वित्त परियोजनाओं की निगरानी एवं मूल्यांकन का उत्तरदायित्व ग्रहण करता है।

नाबार्ड का पुनर्वित्त राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (SCARDBs) राज्य सहकारी बैंकों (SCBs), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRBs) बैंकों, वाणिज्यिक बैंकों (सीबीएस (CBS)) और आरबीआई अनुमोदित अन्य वित्तीय संस्थानों के लिए उपलब्ध है। जबकि निवेश ऋण का अंतिम लाभार्थियों में

व्यक्तियों, साझेदारी से संबंधित संस्थानों, कंपनियों, राज्य के स्वामित्व वाले निगमों, या सहकारी समितियों को शामिल किया जा सकता है, जबकि आम तौर पर उत्पादन ऋण व्यक्तियों को ही दिया जाता है। नाबार्ड का अपना मुख्य कार्यालय मुंबई, भारत में है।

नाबार्ड अपने 28 क्षेत्रीय कार्यालय और एक उप कार्यालय, जो सभी राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानियों में स्थित हैं, के माध्यम से देश भर में परिचालित है। प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय आरओ, में प्रधान कार्यकारी के रूप में एक मुख्य महाप्रबंधक (CGMs), हैं और प्रधान कार्यालय में कई शीर्ष अधिकारी कार्यकारी होते हैं जैसों कार्यकारी निदेशक ईडी,, प्रबंध निर्देशकों एमडी, और अध्यक्ष संपूर्ण देश में इसके 336 जिला कार्यालय, पोर्ट ब्लेयर में एक उप-कार्यालय और श्रीनगर में एक सेल है। इसके पास 6 प्रशिक्षण संस्थान भी हैं।

नाबार्ड को इसके ‘एसएचजी (SHG) बैंक लिंकेज कार्यक्रम’ के लिए भी जाना जाता है जो भारत के बैंकों को स्वावलंबी समूहों (एसएचजीज (SHG) उधार देने के लिए प्रोत्साहित करता है। क्योंकि एसएचजीज का गठन विशेषकर गरीब महिलाओं को लेकर किया गया है, इससे यह माइक्रोफाइनांस के लिए महत्वपूर्ण भारतीय उपकरण के रूप में विकसित हो गया है। इस कार्यक्रम के माध्यम से मार्च 2006 तक 33 मिलियन सदस्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले 2200000 लाख ख्यं सहायता समूह ऋण से जुड़ चुके थे।

नाबार्ड के पास प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन कार्यक्रम का भी एक (विभाग) पोर्टफोलियो है जिसमें के एक समर्पित उद्देश्य के लिए स्थापित कोष के माध्यम से जल संभर विकास, आदिवासी विकास और नवोन्नेषी फार्म जैसे विभिन्न क्षेत्रों को शामिल किया गया है।

परिचय :-

नाबार्ड एक विकास बैंक है जो प्राथमिक तौर पर देश के ग्रामीण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है। यह कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त प्रदान करने के लिये शीर्ष बैंकिंग संस्थान है। इसका मुख्यालय देश की वित्तीय राजधानी मुंबई में अवस्थित है। कृषि के अतिरिक्त यह छोटे उद्योगों, कुटीर उद्योगों एवं ग्रामीण परियोजनाओं के विकास के लिये उत्तरदायी है। यह एक सांविधिक निकाय है जिसकी स्थापना वर्ष 1982 में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 के तहत की गई थी।

कार्य :-

1. नाबार्ड के कार्यक्रमों का उद्देश्य ग्रामीण भारत में विशिष्ट लक्ष्य उन्मुख विभागों (**Specific Goal Oriented Departments**) के माध्यम से वित्तीय समावेशन को सशक्त करना है जिसे व्यापक रूप में तीन शीर्ष भागों वित्तीय, विकास एवं नियोजन में वर्गीकृत किया जा सकता है।
2. यह ग्रामीण आधारभूत संरचना के निर्माण हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
3. यह जिला स्तरीय ऋण योजनाएँ (**District level credit plans**) तैयार करता है ताकि उपरोक्त लक्ष्यों को प्राप्त करने में बैंकिंग उद्योगों को निर्देशित एवं प्रेरित किया जा सके।
4. यह कोआपरेटिव बैंकों एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का नियोजन करता है और साथ ही उन्हें ब्लै प्लेटफार्म (**Core Banking Solution**) से जुड़ने में सहयोग करता है। व CBS प्लेटफार्म अर्थात् कोर बैंकिंग सार्वजनिक बैंकों का नेटवर्क है जो ग्राहकों को उनके अकाउंट्स के संचालन में समर्थन करता है और CBS नेटवर्क पर मौजूदा बैंकों की किटी भी ब्रांच से बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करता है।
5. इसका उद्देश्य केंद्र सरकार की विकास योजनाओं की डिजाइनिंग एवं उनके क्रियान्वयन में निहित है।
6. यह हस्तकला शिल्पकारों को प्रशिक्षण उपलब्ध कराता है एवं इन वस्तुओं की प्रदर्शनी हेतु एक मार्केटिंग प्लेटफार्म विकसित करने में उनकी मदद करता है।
7. नाबार्ड में कई अंतर्राष्ट्रीय भागीदार हैं जिसमें प्रमुख वैश्विक संगठन एवं विश्व बैंक से संबद्ध संस्थान शामिल हैं जो कृषि एवं ग्रामीण विकास के क्षेत्र में नवाचार कर रहे हैं। व ये अंतर्राष्ट्रीय भागीदार संगठन वित्तीय सहायता एवं सलाहकारी सेवाएँ प्रदान करने में एक प्रमुख सलाहकार की भूमिका निभाते हैं ताकि विभिन्न कृषि प्रक्रियाओं के अनुकूलन एवं ग्रामीण लोगों के उत्थान को सुनिश्चित किया जा सके।
8. नाबार्ड एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आईआरडीपी) के तहत गठित की गई परियोजनाओं को उच्च प्राथमिकता देता है।
9. यह एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत चलाए जा रहे गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रमों के लिए वित्त व्यवस्था का प्रबंधन करता है।
10. नाबार्ड अपने कार्यक्रमों के तहत होने वाली सामूहिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए दिशा निर्देश देता है और उनके लिए 100: पुनर्वित्त सहायता प्रदान करता है।
11. यह ख-सहायता समूहों (**SHGs**) के बीच संबंधों को स्थापित करता है जिनका आयोजन गरीब और ग्रामीण क्षेत्रों में जलरसायन लोगों के लिए स्वैच्छिक एजेंसियों द्वारा किया जाता है।
12. यह उन परियोजनाओं के लिए पूरा रिफाइनेंस करता है जो ‘नेशनल वाटरशेड डेवलेपमेंट प्रोग्राम’ और नेशनल मिशन आफ वेर्स्टलैंड डेवलेपमेंट के तहत संचालित हो रहे हैं।
13. यह “विकास वाहिनी” ख्यं सेवक कार्यक्रमों का भी समर्थन करता जो गरीब किसानों को ऋण और विकास गतिविधियों की पेशकश प्रदान करते हैं।

- 1 4. यह ग्रामीण वित्तपोषण तथा किसानों के कल्याण हेतु विकास को सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का नियोजन भी करता है।
- 1 5. नाबार्ड, आरबीआई को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों के लिए लाइसेंस देने की भी सिफारिश करता है।
- 1 6. नाबार्ड उन विभिन्न संस्थाओं के कर्मचारियों को प्रशिक्षण और विकास सहायता प्रदान करता है जो ऋण वितरण से संबंधित होती हैं।

गैर-ऋण संबंधी :-

- ऋण आयोजना और अनुप्रवर्तन, विभिन्न एजेन्सियां और संस्थाओं के साथ समन्वय।
- कृषि और ग्रामीण विकास से संबंधित मामालों पर भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और राज्य सरकारों को नीति निर्माण में सहयोग।
- ग्रामीण ऋण वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए सहकारी संस्थाओं और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (क्षेत्रीय बैंक) का संस्थागत विकास व क्षमता निर्माण, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (क्षेत्रीय बैंक), राज्य सहकारी बैंकों और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों (जिमस बैंकों) का सांविधिक नियोजन और राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (रासकृत्यावधि बैंकों) का स्वैच्छिक नियोजन व उनकी स्थलेतर नियोजनी।
- कृषि, गैर-कृषि, सूक्ष्म वित्त, वित्तीय समावेशन के क्षेत्रों में संवर्धनात्मक व विकासात्मक पहल सरकार प्रायोजित कार्यक्रमों के साथ सहभेद वित्तीय समावेशन।
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों को वित्तीय समावेशन प्रयारों में सहयोग।
- आजीविका अवसरों और सूक्ष्म उद्यमों के संवर्धन पर बल।
- ऋण सहकारिताओं के कार्मिकों व बोर्ड सदस्यों व ग्रामीण वित्तीय संस्थाओं के रटाफ का वित्तपोषण।
- अनुसंधान और विकास, ग्रामीण नवोन्मेष आदि को सहयोग।

ऋण संबंधी :-

- ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और गैर-कृषि गतिविधियों के लिए निवेश ऋण (दीर्घावधि ऋण) और उत्पादन तथा विपणन ऋण (अल्पावधि ऋण) के लिए ग्रामीण वित्तीय संस्थाओं को पुनर्वित्त।
- ग्रामीण आधारभूत संरचनाओं और सहकारी ऋण संरचना के सुदृढ़ीकरण के लिए राज्य सरकारों को ऋण।
- राज्य सरकारों, राज्य/ केन्द्र सरकार के स्वामित्व/ सहायता प्राप्त निकायों, सहकारिताओं के संघों, कृषक उत्पादक संगठनों (एफपीओ), कृषक समूहों के फेडरेशनों, प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (प्रिक्स)/ सहकारी विपणन समितियों (सीएमएस) अथवा इसी प्रकार की संस्थाओं, कारपोरेट्स/ कंपनियों, अलग-अलग उद्यमियों आदि को भंडारागार संरचनाओं के लिए ऋण।
- सहकारिताओं और उत्पादक संगठनों को प्रत्यक्ष ऋण, नाबार्ड आधारभूत सुविधा विकास सहायता के तहत राज्य के स्वामित्व वाली संस्थाओं/ कारपोरेशन को सहायता और व्यक्तियों, साझेदारी फर्मों, कारपोरेट्स, एनजीओ, एमएफआई, कृषक समूहों आदि को प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन कार्यक्रम (यूपीएनआरएम) के तहत प्रत्यक्ष ऋण।
- भारत सरकार की चयनित पूँजी निवेश संस्करणीय योजनाओं की पास-रुप एजेंसी। यह पूरे देश में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए कार्यक्रम भी चलाता है।

इतिहास :-

1. ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास हेतु संस्थागत ऋण का महत्व सरकार के नियोजन के प्रारंभिक दौर से ही स्पष्ट हो जाता है। इसी क्रम में वर्ष 1979 में तात्कालिक योजना आयोग के सदस्य श्री बी. सिवरामन की अध्यक्षता में भारत सरकार के आग्रह पर भारतीय रिजर्व बैंक ने कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिये संस्थागत ऋण की व्यवस्था की समीक्षा करने हेतु एक समिति का गठन किया। व समिति द्वारा ग्रामीण विकास से जुड़े ऋण संबंधी मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करने हेतु संगठनात्मक उपकरण की आवश्यकता रेखांकित किया गया। व इसके परिणामस्वरूप वर्ष 1982 में राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 के तहत एक सांविधिक निकाय के रूप में नाबार्ड की स्थापना की गई।
2. इसकी आरंभिक पैड अप कैपिटल (Paid Up Capital) 100 करोड़ रुपए थी जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक एवं भारत सरकार की हिस्सेदारी 50:50 थी।
3. नाबार्ड की स्थापना से पहले RBI भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ऋण सुविधा प्रदान करने हेतु शीर्ष निकाय था। व इसके परिणामस्वरूप भारत में कृषि और ग्रामीण विकास के संदर्भ में एक शीर्ष विकास वित्तीय संस्थान के रूप में नाबार्ड की स्थापना की गई। व नाबार्ड की भूमिका मुख्य रूप से कृषि एवं ग्रामीण विकास के क्षेत्र में रिजर्व बैंक आफ इंडिया की भूमिका का ही विस्तार है।

भारतीय रिजर्व बैंक की तीन संस्थाओं के कार्यों को नाबार्ड को हस्तांतरित कर दिया गया है। ये तीन संस्थाएँ हैं :-

“राष्ट्रीय कृषि विकास में ग्रामीण बैंकों की भूमिका”

- (1) **कृषि ऋण विभाग (Agricultural Credit Department & ACD)** :- भारतीय रिजर्व बैंक अपने कृषि ऋण विभाग (ACD) के माध्यम से सहयोगियों को लघु अवधि के लिये पुनर्वित्त की सुविधा प्रदान करता है।
- (2) **ग्रामीण योजना एवं क्रेडिट सेल (Rural Planning and Credit Cell & RPCC)** :- यह वर्ष 1979 से ही क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (Regional Rural Banks & RRBs) के साथ सहयोग कर रहा है।
- (3) **कृषि पुनर्वित्त एवं विकास कारपोरेशन (Agricultural Refinance and Development Corporation & ARDC)** :- भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 1963 में एक पुनर्वित्त एजेंसी के रूप में कार्य करने के लिये कृषि पुनर्वित्त कारपोरेशन (Agricultural Refinance Corporation & ARC) की स्थापना की। इस एजेंसी का कार्य कृषि विकास के लिये निवेश ऋण की आवश्यकताओं को पूरा करना है। व वर्ष 1975 में कृषि क्षेत्र में विकास एवं संवर्द्धन को बढ़ावा देने के लिये। RC का नाम बदलकर कृषि पुनर्वित्त एवं विकास कारपोरेशन (ARDC) कर दिया गया था।

नाबार्ड (संशोधन) विधेयक, 2017 (वर्ष 2018 में पारित) :-

उपरोक्त संशोधन अधिनियम द्वारा केंद्र सरकार को नाबार्ड की अधिकृत पूँजी को 5000 करोड़ रुपए से 30000 करोड़ रुपए तक बढ़ाने का अधिकार दिया गया है।

नाबार्ड की पूँजी में बढ़ोतारी: 1981 के अधिनियम के तहत नाबार्ड की पूँजी 100 करोड़ रुपए तक हो सकती है। इस पूँजी को केंद्र सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के साथ परामर्श करके आगे 5000 करोड़ तक बढ़ाया जा सकता है। यह अधिनियम केंद्र सरकार को नाबार्ड की पूँजी को 30000 करोड़ रुपए तक बढ़ाने की अनुमति देता है।

केंद्र सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक के हिस्से का हस्तांतरण : 1981 के अधिनियम के तहत केंद्र सरकार एवं रिजर्व बैंक आफ इंडिया दोनों के पास नाबार्ड की शेयर पूँजी का कम-से-कम 51: हिस्सा होना चाहिये। अधिनियम के अनुसार, केंद्र सरकार के पास अकेले नाबार्ड की शेयर पूँजी का 51: हिस्सा होना चाहिये। अधिनियम भारतीय रिजर्व बैंक की शेयर पूँजी को केंद्र सरकार को हस्तांतरित करता है।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME): वर्ष 1981 अधिनियम के तहत नाबार्ड 20 लाख रुपए तक के निवेश वाले उद्यमों को मशीनरी और संयंत्रों के लिये ऋण एवं दूसरी सुविधाएँ देता है। संशोधित अधिनियम मैन्युफैचरिंग क्षेत्र में 10 करोड़ रुपए तक के और सेवा क्षेत्र में 5 करोड़ रुपए तक के निवेश वाले उद्योगों को इसमें शामिल करता है।

वर्ष 1981 अधिनियम के तहत लघु उद्यमों के विशेषज्ञों को नाबार्ड के निदेशक बोर्ड और सलाहकार परिषद में शामिल किया जाता है। इसके अतिरिक्त लघु स्तरीय, छोटे एवं विकेंद्रित क्षेत्रों को ऋण देने वाले बैंक नाबार्ड से वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं। अधिनियम इन प्रावधानों में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को शामिल करता है।

नाबार्ड और RBI :-

1. भारतीय रिजर्व बैंक देश का केंद्रीय बैंक है जो बैंकिंग व्यवस्था को विनियमित करता है और यह नाबार्ड के अंतर्गत शामिल है एवं बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के तहत परिभाषित विभिन्न संस्थाओं/ बैंकों का पर्यवेक्षक है।
2. कई विकासात्मक एवं विनियामक कार्यों को RBI एवं नाबार्ड के समन्वय से किया जाता है। तथा, नाबार्ड के निदेशक बोर्ड के लिये तीन निदेशकों की नियुक्ति करता है।
3. नाबार्ड, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों एवं राज्य को आपरेटिव बैंक द्वारा नई शाखाओं को खोलने एवं निजी बैंकों के लाइसेंस के मुद्दों पर भारतीय रिजर्व बैंक को अनुशंसा करता है।

निदेशक बोर्ड :-

1. बोर्ड निदेशक द्वारा नाबार्ड के मामलों को नियंत्रित किया जाता है। बोर्ड निदेशक की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा नाबार्ड अधिनियम के तहत की जाती है। निदेशकों का चुनाव रिजर्व बैंक के अलावा अन्य शेयरधारकों, केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य संस्थाओं एवं केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है।

निदेशक बोर्ड में निम्नलिखित लोग शामिल होते हैं :-

एक अध्यक्ष

तीन निदेशक जो निम्नलिखित विषयों के विशेषज्ञ हों :

ग्रामीण अर्थव्यवस्था

ग्रामीण विकास

ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग

लघु उद्योग

या ऐसा व्यक्ति जिसके पास को आपरेटिव बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों या व्यावसायिक बैंकों में कार्य करने का अनुभव हो।

या किसी भी अन्य विशेष ज्ञान या पेशेवर अनुभव हो जिसे केंद्र सरकार राष्ट्रीय बैंकों के लिये उपयोगी मानती हो।

रिजर्व बैंक के निदेशकों में से 3 निदेशकय
केंद्र सरकार के अधिकारियों के बीच से 3 निदेशकय
राज्य सरकार के अधिकारियों के बीच से 4 निदेशकय
अध्यक्ष एवं अन्य निदेशकों (शेयर धारकों एवं केंद्र सरकार के अधिकारियों द्वारा चुने हुए लोगों को
छोड़कर) की नियुक्ति केंद्र सरकार भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से करती है।

कार्यकारी समिति :-

- बोर्ड निदेशक एक कार्यकारी समिति का गठन कर सकता है जिसमें निदेशकों (कार्यकारी निदेशक)
की संख्या निर्धारित की जा सकती है।
- कार्यकारी समिति को ऐसे कार्यों जिन्हें बोर्ड द्वारा इसे सौंपा जा सकता है या जिसका निर्धारण
किया जा सकता है, को प्रबंधित करना होता है।

योगदान :-

नाबार्ड ने वित्तीय, विकासात्मक एवं पर्योग्यकारी कार्य के संदर्भ में ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लगभग
सभी परिपेक्ष्य को स्पर्श किया है।

वित्तीय योगदान

- पुनर्वित्त-लघु अवधि ऋण: वित्तीय संस्थाओं द्वारा फसल ऋण का विस्तार किसानों के फसल उत्पादन
के लिये किया गया है, जो देश में खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने में सहयोग करता है।
- दीर्घ अवधि ऋण: नाबार्ड दीर्घकालीन वित्त को कृषि क्षेत्र या गैर-कृषि क्षेत्र गतिविधियों में शामिल
कार्यों की एक विस्तृत पहुँच के लिये ऋण प्रदान करता है जिसकी अवधि 18 महीने से लेकर 5
वर्ष तक होती है।
- ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (RIDF): वर्ष 1995-96 में ग्रामीण अवसंरचना परियोजनाओं की
मदद के लिये ऋण प्रदान करने का उत्तरदायित्व भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुसूचित व्यावसायिक
बैंकों से (प्राथमिक क्षेत्र की उधारी में कमी के कारण) नाबार्ड को स्थानांतरित कर दिया गया।
- नाबार्ड अवसंरचना विकास सहायता (NIDA):- NIDA का गठन RIDF को पूरा करने के लिये किया
गया है।
- दीर्घकालीन सिंचाई कोष (LTIF) :- नाबार्ड के तहत दीर्घकालीन सिंचाई कोष की स्थापना वर्ष
2016-17 के केंद्रीय बजट में की गई थी। इस बजट में 99 सिंचाई परियोजनाओं को वित्तपोषित
करने के लिये प्रारंभिक राशि 20,000 करोड़ रुपए की घोषणा की गई थी।
- गोदाम अवसंरचना कोष (Warehouse Infrastructure Fund&WIF):- केंद्र सरकार ने वर्ष
2013-14 में नाबार्ड के साथ 5,000 करोड़ रुपए की राशि के साथ WIF की स्थापना की, जो
देश में कृषि वस्तुओं के लिये साइंटिफिक बैंकरहाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को आवश्यक ऋण उपलब्ध
कराता है।
- खाद्य प्रसंस्करण निधि
- कोऑपरेटिव बैंकों के लिये प्रत्यक्ष ऋण
- मार्केटिंग संघों के लिये ऋण सुविधा
- उत्पादक संगठनों एवं प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के लिये उत्पादक संगठन विकास कोष।
- नाबार्ड ने बहु-सेवा केंद्र संचालित करने के लिये उत्पादक संगठनों (Producer Organizations&POs)
एवं प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (Primary Agriculture Credit Societies& PACS) को वित्तीय
सहयोग प्रदान करने के लिये 50 करोड़ रुपए की प्रारंभिक राशि के साथ उत्पादक संगठन विकास
कोष (PODF) की स्थापना की।
- उत्पादक संगठन (PO) एक विधिक संस्था है जिसका गठन प्राथमिक उत्पादकों अर्थात् किसान, दुग्ध
उत्पादक, मछली उत्पादक, बुनकर, ग्रामीण शिल्पकार, शिल्पी आदि द्वारा किया जाता है। उत्पादक
संगठन एक उत्पादक कंपनी, कोऑपरेटिव सोसायटी या कोई अन्य वैधानिक संरचना हो सकती है
जो सदस्यों के बीच लाभ का बैंटवारा करती है।
- प्राथमिक कृषि ऋण समिति एक आधार इकाई है एवं भारत में ऋण देने वाला सबसे छोटा
कोऑपरेटिव संस्थान है। यह जमीनी स्तर (ग्राम पंचायत और ग्रामीण स्तर) पर कार्य करता है। यह
किसानों को ठर्म लोन के रूप में ऋण प्रदान करता है और कृषकों से राशि की वसूली फसल
कटाई के बाद करता है।

विकासात्मक योगदान :-

- किसानों के लिये किसान क्रेडिट कार्ड: अगस्त 1988 में फसल ऋण प्रदान करने के लिये नाबार्ड
ने भारतीय रिजर्व बैंक के सहयोग से किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की थी।
- रूपये किसान कार्ड (RKCs):- नाबार्ड अपने सभी किसान ग्राहकों को ग्रामीण वित्तीय संस्थाओं के
सहयोग से रूपे किसान कार्ड प्रदान करके प्रौद्योगिकी क्रांति में सबसे आगे है।
- आदिवासी विकास: आदिवासी विकास कार्यक्रम
- जलवायु तन्य (Resilient) कृषि

“शाष्ट्रीय कृषि विकास में ग्रामीण बैंकों की भूमिका”

-
5. प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन पर अंबेला कार्यक्रम (**UPNRM**)
 6. **UPNRM** की शुरुआत वर्ष 2007 में हुई। यह ग्रामीण क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहित करने, व्यवसाय के अवसर पैदा करने के साथ-साथ अपने प्राकृतिक संसाधनों के सतत् उपयोग हेतु ग्रामीण समुदाय को प्रोत्साहित करने का कार्य करता है।

माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र :-

1. वर्ष 1992 में नाबार्ड ने स्वयं सहायता समूह बैंक-लिंकेज कार्यक्रम (**Self Help Group&Bank Linkage Programme&SHG&BLP**) की शुरुआत की थी। इसमें वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान 23 लाख स्वयं सहायता समूहों ने बैंक क्रेडिट-लिंक रजिस्टर किये हैं।
2. ईशक्ति कार्यक्रम :- 15 मार्च 2015 को स्वयं सहायता समूह (**SHGs**) के डिजिटलीकरण के उद्देश्य से ईशक्ति कार्यक्रम को ल०न्च किया गया था।
3. कौशल विकास :- युवाओं में उद्यमी संस्कृति को बढ़ावा देना एवं उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में गैर-कृषि क्षेत्रों से संबंधित उद्योग शुरू करने के लिये प्रोत्साहित करना। इस प्रकार के कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिये नाबार्ड तीन दशक से रणनीतिक रूप से कार्य कर रहा है।
4. मार्केटिंग पहल :- नाबार्ड ग्रामीण शिल्पकारों एवं उत्पादकों को मार्केटिंग अवसर उपलब्ध कराने के लिये देश भर में आयोजित प्रदर्शनियों में उन्हें भागीदारी के लिये प्रोत्साहित कर रहा है।
5. इनकार्यालयों सेंटर :- देश में नवाचारों को व्यावसायिक बनाने, कृषि उद्यमिता को आकार देने और एयरी इनकार्यालयों सेंटर स्थापित करने के लिये नाबार्ड ने चौथी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय, हिसार एवं तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, मदुरै को 23.99 करोड़ रुपए की कुल वित्तीय सहायता प्रदान की।

चुनौतियाँ :-

1. भारतीय रिजर्व बैंक के उत्तराधिकारी के रूप में नाबार्ड अपने मूल जनक संस्थानों की कार्य संस्कृति, प्रकृति एवं विकास ओरियेंटेशन को साझा करता है।
2. नाबार्ड की बाजार उदारी इसके संसाधनों के 80: तक होने से इसकी वित्तपोषण की लागत बढ़ गई है।
3. उत्तरी-पूर्वी राज्यों को नाबार्ड के क्रेडिट फंड का बहुत कम हिस्सा मिल रहा है। उत्तर-पूर्वी राज्यों को क्रेडिट का 1 प्रतिशत ही मिलता है। ये राज्य मनी-लैंडर्स के जाल में फँसने वाले किसानों के परिवृश्य के संदर्भ में अग्रणी हैं।
4. उत्तराधिकारी की बैंकों की पहुँच कम है एवं बैंकों को इन राज्यों की ओर अपना कदम बढ़ाना चाहिये।

निष्कर्ष :-

भारत में 75 प्रतिशत से अधिक लोग कृषि पर निर्भर हैं। ग्रामीण अवसंरचना निवेश से ग्रामीण लोगों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति सुधारने में सहायता मिलती है जिससे उनकी जीवन गुणवत्ता एवं आय में वृद्धि होती है। नाबार्ड भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था के क्षमता निर्माण एवं ऋण सुविधा प्रदान करने हेतु एक सर्वोच्च संस्थान है। यह ग्रामीण भारत के सामाजिक-आर्थिक सशक्तीकरण एवं गरीबी कम करने हेतु समर्पित है।

सन्दर्भ गव्य सूची :-

1. www.google.com/wikipedia.com
2. www.wikipedia.com
3. www.sbi.co.in
4. "National Bank for Agriculture and Rural Development". Nabard.org.
5. Agricultureinformation.com.
6. Indiamicrofinance.com